

>

Title: Election of one member from Lok Sabha to serve as member of the Court of Aligarh Muslim University.

मानव संसाधन विकास मंत्री (डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक): मैं प्रस्ताव करता हूँ :-

“कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 के परिनियमों के खण्ड 39 के साथ पठित परिनियम 14 के खण्ड 1 के उप-खण्ड (चौबीस) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट की सदस्यता से डॉ. संघमित्रा मौर्य के त्यागपत्र दिए जाने पर *उसके स्थान पर*, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:-

“कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अधिनियम, 1920 के परिनियमों के खण्ड 39 के साथ पठित परिनियम 14 के खण्ड 1 के उप-खण्ड (चौबीस) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा अध्यक्ष निदेश दें, उक्त परिनियमों के अन्य उपबंधों के अध्यक्षीन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट की सदस्यता से डॉ. संघमित्रा मौर्य के त्यागपत्र दिए जाने पर *उनके स्थान पर*, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की कोर्ट के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

HON. SPEAKER: Item No.6A, the Finance Minister.

... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Item No.7, Dr. Satyapal Singh.

12.05 hrs

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

9th to 11th Reports